

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2024—श्रावण 8, शक 1946

### लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2024

PHME-0576-2024-सत्रह-मेडि-1.- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को, उक्त अधिनियम के चौथे अध्याय के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है:-

| अनुक्रमांक | औषधि निरीक्षक के नाम    |
|------------|-------------------------|
| (1)        | (2)                     |
| 1.         | श्रीमती तनु गुप्ता      |
| 2.         | श्री दीपक नामदेव        |
| 3.         | सुश्री पल्लवी जोक       |
| 4.         | श्री मनीष सुमन          |
| 5.         | श्री देवांशु कमल नामदेव |
| 6.         | श्री मनीष कुशवाह        |
| 7.         | सुश्री वैष्णवी तलवारे   |
| 8.         | श्रीमती शिवानी गुप्ता   |
| 9.         | सुश्री ईशा लिंगायत      |
| 10.        | श्री विजय वर्मा         |
| 11.        | सुश्री सपना सिंह राजपूत |

| (1) | (2)                     |
|-----|-------------------------|
| 12. | श्री बाबूलाल बिरधरिया   |
| 13. | श्री बिहारी लाल अहिरवार |
| 14. | श्री रवि कुमार जाटव     |
| 15. | श्री प्रमोद कुमार कुलेश |
| 16. | सुश्री रेशु ठाकुर       |
| 17. | सुश्री मनीषा अहिरवार    |
| 18. | श्री प्रवीण कुमार पटेल  |
| 19. | डॉ. सर्वेश शर्मा        |
| 20. | श्री सोमेश पालीवाल      |
| 21. | सुश्री अस्मिता गामोड़   |
| 22. | श्री जितेन्द्र शर्मा    |
| 23. | श्रीमती रोशनी धुर्वे    |
| 24. | श्री बलराम चौधरी        |
| 25. | श्री गौरव शर्मा         |
| 26. | श्री जितेन्द्र पाटीदार  |

PHME-0576-2024-XVII-MEDI-1.- In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the State Government, hereby, appoint the following Drugs Inspectors as Inspectores for the whole of the State of Madhya Pradesh for the Chapter IV of the said Act, namely:-

| S. No. | Name of Drugs Inspector    |
|--------|----------------------------|
| (1)    | (2)                        |
| 1.     | Mrs. Tanu Gupta            |
| 2.     | Mr. Deepak Namdev          |
| 3.     | Ms. Pallavi Jock           |
| 4.     | Mr. Manish Suman           |
| 5.     | Mr. Deevanshu Kamal Namdev |
| 6.     | Mr. Manish Kushwah         |
| 7.     | Ms. Vaishnavi Talware      |
| 8.     | Mrs. Shivani Gupta         |
| 9.     | Ms. Isha Lingayat          |
| 10.    | Mr. Vijay Verma            |

| (1) | (2)                     |
|-----|-------------------------|
| 11. | Ms. Sapna Singh Rajput  |
| 12. | Mr. Babulal Birdhariya  |
| 13. | Mr. Bihari Lal Ahirwar  |
| 14. | Mr. Ravi Kumar Jatab    |
| 15. | Mr. Pramod Kumar Kulesh |
| 16. | Ms. Reshu Thakur        |
| 17. | Ms. Manisha Ahirwar     |
| 18. | Mr. Praveen Kumar Patel |
| 19. | Dr. Sarvesh Sharma      |
| 20. | Mr. Somesh Paliwal      |
| 21. | Ms. Asmita Gamod        |
| 22. | Mr. Jitendra Sharma     |
| 23. | Mrs. Roshni Dhurve      |
| 24. | Mr. Balram Choudhary    |
| 25. | Mr. Gaurav Sharma       |
| 26. | Mr. Jitendra Patidar    |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मयंक अग्रवाल, उपसचिव.